न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 54/2017 (76 एलआरए) श्रीमती सुगनी बनाम राजस्थान सरकार

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00236)

श्रीमती सुगनी बेवा शेराराम जाति सुथार निवासी ग्राम आंगणवा तहसील व जिला जोधपुर।

..... अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश अपर जिला कलेक्टर (भू.रू.) जोधपुर दिनांक 12.07.2017 अंतर्गत प्रथम अपील सं. 45/2011 एवं तहसीलदार जोधपुर का आदेश दिनांक 17.05.2011 अंतर्गत राजस्व प्रकरण सं. 205/2008

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री जे.आर. बोराणा।

2 रेस्पोडेट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 23.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपर जिला कलेक्टर (भू.रू.) जोधपुर के प्रथम अपील सं. 45/2011 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2017 एवं तहसीलदार जोधपुर का आदेश दिनांक 17.05.2011 अंतर्गत राजस्व प्रकरण सं. 205/2008 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (भू.रू.) जोधपुर के समक्ष धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलांट की ओर से प्रथम अपील सं. 45/2011 पेश कर कथन किया कि मौजा ग्राम गुजरवास खुर्द, तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नं. 55/1 रकबा 35 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय की कृषि

23/8

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

भूमि पर अपीलांट का पुराना कब्जा काश्त होने से दिनांक 12.12.78 को नियमन की गई व खातेदारी मिल गई। परंतु ग्राम के ही ईष्यालु व्यक्ति द्वारा झूठी शिकायत करने से जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा दिनांक 11.09.2000 को अपीलांट के पक्ष में आवंटित जमीन का आदेश निरस्त कर दिया जिसके विरुद्ध अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में अपील सं. 3094/04 गोरखाराम बनाम पांचाराम पेश की गई जो विचाराधीन है। इस दरम्यान तहसीलदार जोधपुर द्वारा उक्त अपीलांट के नाम नियमन की गई जमीन खसरा नं. 55/1 को खालसा दर्ज कर दिया व दिनांक 20.11.2007 को गोरखाराम व सुगनी के खिलाफ विरुद्ध धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके बेदखली व जुर्माना का आदेश पारित कर दिया जिसके विरुद्ध अपीलांट गोरखाराम व सुगनी द्वारा जिला कलेक्टर जोधपुर में अपील पेश करने पर दिनांक 18.02.2008 को जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा तहसीलदार जोधपुर के आदेश 20.11.2007 को निरस्त कर रिमाण्ड कर दिया। तहसीलदार जोधपुर द्वारा पुनः राजस्व प्रकरण सं. 205/2008 सरकार बनाम गोरखाराम व सुगनी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत दर्ज करके बगैर सुनवाई के ही निर्णय दिनांक 17.05.2011 को पारित कर दिया व अपीलांट व गोरखाराम को 3–3 माह की सिविल कारावास व 575/– के जुर्माने से दण्डित करने का आदेश पारित कर दिया जिसके विरुद्ध अपीलांट सुगनी व गोरखाराम ने श्रीमान जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष पुनः अपील प्रस्तुत की इस दरम्यान अपीलांट गोरखाराम की मृत्यु हो गई व गोरखाराम का नाम अपील से हटाने का प्रार्थना पत्र श्रीमान अपर जिला कलेक्टर (भू.रू.) जोधपुर के न्यायालय में पेश किया गया परंतु गोरखाराम की मृत्यु हो जाने के बावजूद गोरखाराम का नाम अपील से नहीं हटाया व दिनांक 12.07.2017 को अपलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 45/2011 को न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (भू.रू.) जोधपुर द्वारा खारिज कर दिया गया। अतः अपीलांट सुगनी पत्नी पोजराम ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2017 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री जे.आर. बोराणा ने अपील मीमो में

23/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि तहसीलदार जोधपुर एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर (भू.रू.) जोधपुर द्वारा पारित निर्णय में विधिक तथ्यात्मक भूल होने से काबिले निरस्त है। तहसीलदार जोधपुर के पश्चातवर्ती अतिक्रमण दिनांक 20.11.2007 को जब जिला कलेक्टर जोधपुर में पेश पूर्व अपील में श्रीमान जिला कलेक्टर द्वारा दिनांक 18.02.2008 को निरस्त कर दिया था तथा मामला पुनः विधिवत सुनवाई करने के लिए व साक्ष्य सफाई लेने के लिए रिमाण्ड कर दिया था तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर को अतिक्रमण के संबंध में हल्का पटवारी को बुला करके बयान लेने चाहिए थे तथा अपीलांट को जिरह का मौका देना चाहिए था परंतु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर ने हल्का पटवारी के साक्ष्य नहीं लिए तथा न ही बयान रिकार्ड पर लिए व बगैर साक्ष्य लिए ही अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 3 माह की जेल व 57/– जुर्माना से दण्डित कर दिया जो विधि विरुद्ध होने से काबिल निरस्ती है। अपीलांट सुगनी ने तहसीलदार जोधपुर के समक्ष हल्का पटवारी गुजरवास को मय रिकार्ड के तलब करने एवं उससे जिरह करने की प्रार्थना की थी परंतु ऐसा कभी भी नहीं किया व गैर कानूनी रूप से एक तरफा निर्णय बिना किसी आधार के पारित कर दिया गया। इस प्रकरण में कभी भी तहसीलदार जोधपुर द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई न कभी पत्रावली को कोर्ट में ही मंगाया गया बल्कि लिपिक के पास ही पत्रावली पड़ी रहती हैं वो ही सारी खाना पूर्ति किया करता था। अपीलांट एक 86 वर्ष की अतिवृद्ध ग्रामीण बीमार महिला है जिसको तहसीलदार जोधपुर द्वारा कोई सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया अतः तहसीलदार जोधपुर व मातहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर (भू.रू.) जोधपुर का अपीलाधीन आदेश काबिल खारिज है। अपीलांट का मामला धारा 91 एल.आर. एक्ट व पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता है बल्कि एक खातेदार की श्रेणी में आता है क्योंकि उपरोक्त जमीन अपीलांट को विधिवत नियमन की गई थी जिसके बाद में अभी भी अपीलांट सुगनी की ओर से माननीय राजस्व मण्डल में अपील संख्या 3094/04 गोरखाराम वगैरा बनाम पांचाराम वगैरा विचाराधीन है अतः अपीलांट को अतिक्रमी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। उपरोक्तानुसार अपीलाधीन आदेश विधि विरुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण होने से खारिज योग्य हैं। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर के राजस्व प्रकरण सं. 205/2008 सरकार बनाम गोरखाराम व

2378
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सुगनी वगै. में पारित निर्णय दिनांक 17.05.2011 व उसके विरुद्ध पेश की गई अपील सं. 45/2011 में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (भू.रू.) जोधपुर द्वारा दिनांक 12.07.2017 को पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया।

5 रेस्पोडेट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि अपीलांट ने राजकीय भूमि मौजा ग्राम गुजरवास खुर्द, तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नं. 55/1 रकबा 35 बीघा 18 बिस्वा पर अतिक्रण किया है व पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अतः तसहीलदार जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2011 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। प्रथम अपील अधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत होने पर अपीलांट को विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2017 पारित किया गया है। अपीलांट का कथन है कि अपीलांट गोरखाराम की मृत्यु हो चुकी है तो उसके संबंध में उचित निर्णय लिया जा सकता है अथवा प्रकरण रिमाण्ड किया जा सकता है। अतः प्रथम अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर निर्णय की त्रुटि को दूर करने के लिए प्रकरण को प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (भू.रू.) जोधपुर को रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 प्रथम अपील अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर (भू.रू.) जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.2017 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रथम अपील न्यायालय ने पारित आदेश में केवल यह विवेचन किया है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया है व अधीनस्थ न्यायालय ने रिमाण्ड पत्रावली में गुपचुप तरीके से आदेश पारित नहीं किया है तथा यह भी निष्कर्ष दिया है कि अपील में कोई ठोस तथ्य नहीं होने से अपीलार्थी किसी अनुतोष को पाने का हकदार नहीं माना है।

8 जबकि का अपील में यह भी कथन रहा है कि अपीलांट का मामला धारा 91 एल.आर. एक्ट व पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता है बल्कि एक खातेदार की श्रेणी में आता है क्योंकि उपरोक्त जमीन अपीलांट को विधिवत नियमन की गई थी जिसके बाद में अभी भी अपीलांट सुगनी की ओर से माननीय राजस्व मण्डल में अपील संख्या 3094/04 गोरखाराम

23/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वगैरा बनाम पांचाराम वगैरा विचाराधीन है अतः अपीलांट को अतिक्रमी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। उपरोक्तानुसार अपीलाधीन आदेश विधि विरुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण होने से खारिज योग्य हैं। इसके अलावा दिनांक 09.01.2013 को अपीलांट के अधिवक्ता की ओर से प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अपीलांट संख्या 1 गोरखाराम का इंतकाल होने के कारण अपीलांट का नाम अपील में से हटाने का आदेश पारित करने के लिए निवेदन किया। परंतु प्रथम अपील न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया है। अतः प्रथम अपील न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण एवं सरसरी तौर पर पारित किया गया पाया जाता है जो निरस्त योग्य है एवं प्रकरण प्रथम अपील न्यायालय को प्रेषित करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

9 अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रथम अपील न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (भू.रू.) जोधपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण प्रथम अपील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा अपील में उठाए गए समस्त बिंदुओं का विवेचन कर निस्तारण करें तथा अपीलांट गोरखाराम की मृत्यु होना बताया गया है अतः इस संबंध में भी विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रथम अपील को पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करें। इस रिमाण्ड प्रकरण के निस्तारण तक अपीलांट/अप्रार्थीगण के विरुद्ध 3 माह के सिविल सजा के आदेश को स्थगित किया जाता है शेष आदेश यथावत रहेगा।

23/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

10 निर्णय आज दिनांक 23.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर